आम सूचना

एसटीएआर (स्टार) एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – 1 के तहत कार्यरत सभी प्रशिक्षण पार्टनरों को सूचित किया जाता है कि*:*

1. एसटीएआर (मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं पुरस्कार, जिसे राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के नाम से भी जाना जाता है)*:* ज्ञातव्य है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2013 को स्टार नामक योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 2013-14 के दौरान अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल युवाओं को नगद राशि प्रदान किया जाना था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इस योजना के क्रियांवयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्टार लक्ष्य-आधारित योजना थी, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ की लागत से 10 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 को स्वीकृति देते हुए कैबिनेट नोट में बताया गया था कि स्टार योजना की अनप्रयुक्त राशि को 01 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 के खाते में डालकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सुपुर्द कर दिया गया है।

2. पीएमकेवीवाई 1.0 (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015-16)*:* पीएमकेवीवाई 1.0 की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके तहत 2015-16 के दौरान अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल उम्मीदवारों को नगद राशि प्रदान किया जाना था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पीएमकेवीवाई 1.0 लक्ष्य-आधारित योजना थी, जिसमें लगभग 1,500 करोड़ की लागत से 24 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाना था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 20 अगस्त 2019 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर के पीएमकेवीवाई 1.0 की अनप्रयुक्त धनराशि को 23 अगस्त 2019 को भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित कर दिया था।

भारत के समेकित कोष में अनप्रयुक्त धनराशि की वापसी के बाद तथा 20 अगस्त 2019 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन के आलोक में सभी संबद्ध पक्षों तथा आमजन को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों योजनाएं, स्टार और पीएमकेवीवाई 1.0, औपचारिक तौर पर पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, और इसमें अब किसी भी प्रकार के वित्तीय या गैर-वित्तीय दावे अथवा दावों या किन्ही अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20), जिसे पीएमकेवीवाई 2.0 के नाम से में भी जाना जाता है, इस सूचना से बेअसर रहेगी।